



उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या-11/2025/364/25-6099/115/2024
लखनऊ: दिनांक 17-02-2025
संशोधन/शुद्धि पत्र

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना-2003 के योजनान्तर्गत मै0 कनोडिया सीमेन्ट लिमिटेड, बुलन्दशहर को शासनादेश संख्या- 05/3099/77-6-2024-77-6099/115/2024 दिनांक 04.02.2025 द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्वीकृत ब्याजमुक्त ऋण की अवशेष 10 प्रतिशत धनराशि रू0 1,06,62,000.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त शासनादेश दिनांक 04.02.2025 के पृष्ठांकन/प्रतिलिपि में टंकण त्रुटिवश क्रम संख्या-2 मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर के स्थान पर "मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ" एवं क्रमांक-5 पर आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर के स्थान पर "संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ" अंकित हो गया है।

2- अतः उक्त शासनादेश संख्या-5/3099/77-6-2024-77-6099/115/2024 दिनांक 04.02.2025 के पृष्ठांकन/प्रतिलिपि के क्रम संख्या-2 पर "मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ " के स्थान पर मुख्य कोषाधिकारी, कानपुर एवं क्रम संख्या-5 पर "संयुक्त आयुक्त उद्योग, लखनऊ मण्डल, लखनऊ" के स्थान पर "आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर" पढ़ा जाए।

3- इसप्रकार शासनादेश दिनांक 04.02.2025 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए। उक्त शासनादेश की शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगी।

रामध्यान रावत
उप सचिव।

संख्या-11/2025/364/25/ 77-6099/115/2024 दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ/कानपुर।
3. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रभारी, वि०यो०वि०, उ०प्र० वित्तीय निगम कानपुर के पत्र संख्या-390/विनी वियोवि/2024-25 दिनांक 10.12.2024 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु।

5. आयुक्त एवं निदेशक उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
6. संयुक्त आयुक्त, उद्योग, लखनऊ मण्डल लखनऊ/कानपुर।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
9. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6 ।
10. नियोजन अनुभाग-1/4 ।
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2 ।
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
रामध्यान रावत
उप सचिव।